

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नो व गरीब अहकाम जो
इस हुक्म की तारीख में
जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 164/2015 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2015/00165)

अनवान:

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री राधाकिशन जाति राठी निवासी बीकानेर
हाल निवास 1 बी.डी. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

बनाम

1. माधो सिंह पुत्र श्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1
बी.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरुबच्चन सिंह जाति जटसिख निवासी
855 आर.डी. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज।

8.7.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक
अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 3 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने
हेतु दिनांक 22.03.2016 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु
अभिभाषक अपीलान्ट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद
आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये
अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत
की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के
बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने
की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर
करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज
की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं
अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी
जावे। आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को सुनाया गया।

9/7/24
(वन्दना सिधवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर